न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 46 / 2021

अनवान : –

1. लाधुराम पुत्र बिशनपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल अप्रार्थी

2. अजमेरसिह पुत्र हरीसिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
3. खेमसिह पुत्र लालसिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. गुरूदेवसिह पुत्र हरीसिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. नाजरसिह पुत्र दलबारासिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
6. बख्तावरसिह पुत्र दलबारसिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
7. मुख्त्यारसिह पुत्र दलबारासिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
8. मेजरसिह पुत्र दलबारासिह जाति जटसिख निवासी जबरासर तहसील नोहर
9. नानूदेवी पुत्री बिशनपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257 / 251 के खसरा न0 336 की 7.2730हैक , खसरा न0 801 की 2.0730हैक खसरा न0 304 की 3.2010हैक खसरा न0 805 की 2.3400हैक खसरा न0 897 की 5.1460हैक कुल 20.0330हैक भूमि स्थित है जिसके बिशनपुरी पुत्री गोमदपुरी गुसाई निवासी जबरासर खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 357 / 251 की कुल 20.0330हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता बिशनपुरी पुत्र गोमदपुरी 2097 / 7705 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 अजमेरसिह 33 / 8710हिस्सा , खेमसिह पुत्र लालसिह का 33 / 8710हिससा , गुरूदेवसिह पुत्र हरीसिह का 33 / 8710 हिस्सा , नाजरसिह पुत्र दलबारसिह का 569 / 20030हिस्सा , बख्तावरसिह पुत्र दलबारसिह अकेला 568 / 20030हिस्सा मुख्त्यारसिह पुत्र दलबारसिह का 569 / 20030 हिस्सा , मेजरसिह पुत्र दलबारसिह 569 / 20030 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है एव काल्पनिक पुत्र काल्पनिक के नाम 70627 / 100165 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज कर रखा है।

रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257 / 251 की कुल 20.0330हैक भूमि में काल्पनिक पुत्र काल्पनिक 30627 / 100165 हिस्सा दर्ज कर स्थनग आदेश उपखण्ड अधिकारी का नोट अंकित कर रखा है और उक्त खाता का उपवादित खाता की श्रेणी में रख दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खाता में प्रार्थी एव तर[illegible]र्थीगण की हिस्सा कस्सी गलत तोर से दर्ज कर रखी है वर्तमान [illegible] के कारण प्रार्थी कोई भी कार्यवाही जैसे विरास्तन नामा[illegible] नही कर पा रहे है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257 / 251 की कुल 20.0330हैक में काल्पनिक पुत्र काल्पनिक हिस्सा प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि है तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण का हिस्सा सही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तौर से दर्ज कर रखा है परन्तु प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि मे से भूमि कम की जाकर काल्पनिक हिस्से के नाम दर्ज कर दिया काल्पनिक हिस्सा नाम कलमजन किया जाकर यह भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जाकर हिस्सा कस्सी सही हो सकती है जिससे सभी काश्तकारों का लाभ होगा इसलिये काल्पनिक हिस्सा जो जमाबन्दी में दर्ज है को हटाया जाकर काल्पनिक हिस्सा के नाम से दर्ज भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज की जाकर शेष खातेदार का हिस्सा यथावत रखा जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर हिस्सा कस्सी संशोधन की जाकर जमाबन्दी से नोट हटाया जावे।

प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया की उक्त खाता की हिस्सा कस्सी काल्पनिक हिस्सा कलमजन कर प्रार्थी के नाम दर्ज कर शेष खातेदारों के हिस्से यथावत रखे जाकर जमाबन्दी संशोधन कर जावे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः प्रार्थी का वाद स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257/251 की कुल 20.0330हवै भूमि में दर्ज काल्पनिक हिस्सा 70627/100165 हिस्सा पूर्व में दर्ज हिस्सा के साथ जोडकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे काल्पनिक हिस्सा नाम का कलमजन किया जावे शेष काश्तकारों का हिस्सा यथावत रखने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 के विरूद्व प्रार्थी का कोई अनुतोष नही होने के कारण तर्क किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थी से साक्ष्य लिये गये प्रार्थी ने साक्ष्यप्रार्थी में शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात पेश किये जिसे शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257/251 के खसरा न0 336 की 7.2730हैक , खसरा न0 801 की 2.0730हैक खसरा न0 304 की 3.2010हैक खसरा न0 805 की 2.3400हैक खसरा न0 897 की 5.1460हैक कुल 20.0330हैक भूमि स्थित है जिसके बिशनपुरी पुत्री गोमदपुरी गुसाई निवासी जबरासर खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 357/251 की कुल 20.0330हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता बिशनपुरी पुत्र गोमदपुरी 2097/7705 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 अजमेरसिह 33/8710हिस्सा , खेमसिह पुत्र लालसिह का 33/8710हिससा , गुरूदेवसिह पुत्र हरीसिह का 33/8710 हिस्सा , नाजरसिह पुत्र दलबारसिह का 569/20030हिस्सा , बख्तावरसिह पुत्र दलबारसिह अकेला 568/20030हिस्सा मुख्त्यारसिह पुत्र दलबारसिह का 569/20030 हिस्सा , मेजरसिह पुत्र दलबारसिह 569/20030 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है एव काल्पनिक पुत्र काल्पनिक के नाम 70627/100165 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज कर रखा है।

रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257/251 की कुल 20.0330हैक भूमि में काल्पनिक पुत्र काल्पनिक 30627/100165 हिस्सा दर्ज कर स्थनग आदेश उपखण्ड अधिकारी का नोट अंकित कर रखा है और उक्त खाता का उपवादित खाता की श्रेणी में रख दिया गया है।

उक्त खाता में [illegible] हिस्सा कस्सी गलत तोर से दर्ज कर रखी है वर्तमान जमाबन्दी में काल्[illegible] के कारण प्रार्थी कोई भी कार्यवाही जैसे विरास्तन नामान्तकरण [illegible] रहे है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:13:29 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257/251 की कुल 20.0330हैक में काल्पनिक पुत्र काल्पनिक हिस्सा प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि है तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का हिस्सा सही तौर से दर्ज कर रखा है परन्तु प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि मे से भूमि कम की जाकर काल्पनिक हिस्से के नाम दर्ज कर दिया काल्पनिक हिस्सा नाम कलमजन किया जाकर यह भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जाकर हिस्सा कस्सी सही हो सकती है जिससे सभी काश्तकारों का लाभ होगा इसलिये काल्पनिक हिस्सा जो जमाबन्दी में दर्ज है को हटाया जाकर काल्पनिक हिस्सा के नाम से दर्ज भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज की जाकर शेष खातेदार का हिस्सा यथावत रखा जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर हिस्सा कस्सी संशोधन की जाकर जमाबन्दी से नोट हटाया जावे।

वाद भूमि पूर्व की जमाबन्दीयों में सही तौर से दर्ज थी किन्तु भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा सहवन से हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज की गई जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257/251 की कुल 20.0330हवै भूमि में दर्ज काल्पनिक हिस्सा 70627/100165 हिस्सा पूर्व में दर्ज हिस्सा के साथ जोडकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे काल्पनिक हिस्सा नाम का कलमजन किया जावे शेष काश्तकारों का हिस्सा यथावत रखने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर एव राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा जबरासर की जमाबन्दी सम्वत 2012 में बिशनपुरी पुत्र गोमदपुरी के नाम साबिका खसरा में 83 बीधा भूमि दर्ज चली आ रही थी इसी अनुसार आगामी जमाबन्दीयों एवं गिरदावरीयो में दर्ज चला आ रहा था जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों एवं गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है।

रोही मौजा जबरासर के साबिका खसरा की भूमियों को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा नये खसरों में परिर्वतन पैमुद किये जाकर नई जमाबन्दी का निर्माण किया गया था प्रार्थी की रोही मौजा जबरासर की भूमि को भी नये खसरो में परिर्वतन को सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज कर दी अर्थात तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण के हिस्से सयुक्त तौर से सही तौर से दर्ज किये गये किन्तु बिशनपुरी की भूमि के हिस्से गलत तौर से कम दर्ज कर दिये जिससे जमाबन्दी का योग सही तौर से नही रहा जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था किन्तु वाद भूमि प्रार्थी के सही तौर से कब्जा काश्त में चली आ रही है जिस पर किसी प्रकार का विवाद नही होने के कारण काश्तकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई।

हाल ही में राजस्व विभाग के द्वारा जमाबन्दीयों को ऑनलाईन दर्ज किया गया जिस पर प्रार्थी व तरतीबी खातेदारों की भूमि को भी ऑन लाईन किया गया तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण की भूमि को तो सही तौर से दर्ज कर दिया प्रार्थी की भूमि जो उसके कब्जा काश्त में थी से कम भूमि दर्ज कर दी और खाता का योग पूर्ण करने के लिये काल्पनिक पुत्र काल्पनिक नाम अंकित कर खाता का योग मिला कर जमाबन्दी ऑन लाईन कर दी और बिना किसी आधार के जमाबन्दी में नोट अंकित कर दिया की उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश है खात उपवादित है जबकि उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा उक्त [illegible] न आदेश जारी नही किया गया था।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य [illegible] अनुसार जो हिस्सा जमाबन्दी में काल्पनिक पुत्र काल्पनिक के ना[illegible] के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है मात्र ऑन लाईन के समय खाता [illegible] मिलाने के लिये काल्पनिक हिस्सा अंकित किया गया है जबक उक्त भूमि प्रार्थी [illegible]क हिस्सा की भूमि होना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात के अनसुार प्रार्थी के पूर्वजों बिशनपुरी वल्द गोमदपुरी के वाद भूमि सही तौर से दर्ज चली आ रही थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों /गिरदावरीयों से पूर्णत्या साबित है भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान नये खसरो में वाद भूमि परिर्वतन/पैमुद करने के बाद नई जमाबन्दी बनाते समय वादी की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज कर दी जो लगातार चली आ रही थी जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय खाते का जोड मिलाने के लिये काल्पनिक हिस्से का निर्माण कर खाते का जोड तो सही कर जमाबन्दी ऑन लाईन कर दी किन्तु वादी के हिस्से की भूमि कम कर दी जो विधिसम्मत नही है प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की भूमि का अपने नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भूमि वादी के कब्जा काश्त में भी चली आ रही है जिसका किसी के द्वारा प्रतिरोध भी नही किया गया है वादी काल्पनिक हिस्सा को कलमजन करवाकर भूमि अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पने का अधिकारी है

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 257/251 में दर्ज काल्पनिक पुत्र काल्पनिक नाम कलमजन किया जाकर 70627/100165 हिस्सा बिशनपुरी पुत्र गोमदपुरी हिस्सा 2097/7705 हिस्सा के साथ जोड कर बिशनपुरी पुत्र गोमदपुरी के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सशोंधन की जावे शेष काश्तकारो का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित होने का अंकन हटाया जाता है भूमि यदि रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। इसी आशय की आदेश जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:13:29 IST
Reason: SelfAttested